

**कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर महात्मा गांधी नरेगा,  
बाड़मेर**

क्रमांक:प.19( ) (महात्मा गांधी नरेगा/ विज्ञप्ति/ सा. अंके./2022-23/

दिनांक

**विज्ञप्ति**


**ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु**

महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनान्तर्गत अकेंक्षण करवाने हेतु निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा एवं जवाबदेही पारदर्शिता सोसायटी जयपुर के पत्रांक: 9729 दिनांक 07.03.2022 द्वारा जारी संशोधित दिशा -निर्देशों के क्रम में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों हेतु जिला बाड़मेर को आवंटित पदों के लिए संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए अस्थाई नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ई-मेल socialauditbar@gmail.com के माध्यम से जिला स्तर पर दिनांक 31.10.2022 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

**केवल ऑनलाईन रीति से ही आवेदन लिये जायेंगे।**

क्र.सं.	सेवा का नाम	संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताएँ			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी / प्रशैक्षणिक	आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु	
1	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	115	500/- प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अकेंक्षण अवधि अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक / कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र	21-64 वर्ष अधिकतम	31.10.2022

विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण जिले बाड़मेर की वेबसाईट [www.Barmer.rajasthan.gov.in](http://www.Barmer.rajasthan.gov.in) पर अवलोकन किया जा सकता है।

  
( ओमप्रकाश बिश्नोई )  
अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक  
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, बाड़मेर (राज.)


क्रमांक:प.19( ) (महात्मा गांधी नरेगा/ विज्ञप्ति/ सा. अंके./2022-23/

1643

दिनांक 17-10-2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर।
2. उपनिदेशक एसीपी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण एवं आवेदन का प्रारूप जिला बाड़मेर की वेबसाईट पर अपलोड करे।
3. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी बाड़मेर।
4. संपादक दैनिक भास्कर बाड़मेर/ राजस्थान पत्रिका बाड़मेर उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य पृष्ठ पर न्यूनतम स्पेश में डीपीआर की दर पर प्रकाशित कर बिल इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

  
अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक  
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, बाड़मेर (राज.)

**कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर महात्मा गांधी  
नरेगा, बाड़मेर**

क्रमांक:प.19( ) ( ) महात्मा गांधी नरेगा / विज्ञप्ति / सा. अंके. / 2022-23 / 1644

दिनांक 17-10-2022

**विज्ञप्ति**

सामाजिक लेखा परीक्षा एवं जबाबदेही पारदर्शिता सोसायटी में अंकेक्षण कार्यों के लिये ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिये ग्रामीण विभाग (MoRD) भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों/अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय (मासिक आधारित ) पर निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष के लिये चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद् स्तर पर ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online application) आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. सेवाओं के लिये मुख्य शर्तों का सारांश:-

क्र.सं.	सेवा का नाम	संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताएं			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी / प्रशैक्षणिक	आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु	
1	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	115	500/ - प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक / कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RSCIT)	21-64 वर्ष अधिकतम	31.10.2022

2. आवेदन हेतु दिशा निर्देश :-

- ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 आदेश संख्या 02/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिये गये प्रावधानानुसार ऑनलाईन रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाईट पर विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र लिये जायेंगे।
- सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र ( Online application form) में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व जिले की वेबसाईट [www.Barmer.rajasthan.gov.in](http://www.Barmer.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों दिशा निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ ले तथा इनमें दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुये ही आवेदन भरे आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही सही भरी गयी है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों को सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे क्यो कि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटी को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।



3. आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क 100/-रु. SSAAT के स्टेट बैंक आफ इंडिया, सचिवालय शाखा (IFSC Code SBIN 0031031 ) के खाता संख्या 38872762396में Director, SSAAT के नाम से जमा करावें, तथा उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ई-मेल पर भिजवावें।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदको को परीक्षा शुल्क जमा करवाने से छूट होगी।

**5. पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तः-**


सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 के आदेश क्रमांक एफ61 (21) SSAAT / नियमावली/23019 /7497-7514 दिनांक 12.03.2020 ( आदेश संख्या 2/2020 ) एवं संशोधित विनियम समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27.11.2020 ( आदेश संख्या 10/2020 की पालना की जावे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता आयु, शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएँ निम्नानुसार हैं, जिनके लिये सोसायटी के विनियमों में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिये निम्न लिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक है।

1. शैक्षणिक योग्यता – पुरुष एवं महिला वर्ग के लिये स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
2. प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा/ डिग्री/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. आयु – आवेदन की अन्तिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिये । संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।
4. आवेदन सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिए।
5. आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना परन्तु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे।
6. आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिये ।
7. आवेदक द्वारा ऑनलाईन भिजवये जाने वाले आवेदन पत्र, संलग्नकों सहित स्केन कर पीडीएफ फाइल में भेजे जो पांच एम.बी. से ज्यादा न हो।

**5. चयन प्रक्रिया:-**

1. उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिये निम्न लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।  
( क ) उपरोक्त बिन्दु संख्या 4 (1) ( 2 ) एवं (3) के लिये संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक /तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकतालिका प्रमाण पत्र । (ख) बिन्दु संख्या 4 (5) के लिये स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र (ग)बिन्दु संख्या 4 (6) के लिये राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र । (घ) बिन्दु संख्या 4 (4) के लिये सामाजिक क्षेत्र कार्यरत सिविल सेवी संस्थाओं /सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुये अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिये उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण अंकित हो ।
2. आवेदनकर्ता के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।
3. आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या ( पदों की संख्या से तीन गुणा से कम ) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदको की वरीयता सूची (मेरिट) तैयार की जायेगी।
4. लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्ताकों के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्ताकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरीयता सूची (मेरिट) लिस्ट तैयार की जावेगी।

5. आवेदन कर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जावेगा ।
6. ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।
7. ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।
8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के (संविदा कार्मिक ) चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण/रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जावेगी ।
9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक स्तर पर ऑनलाईन प्राप्त किया जायेगा ।
6. **ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि :-**  
ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2022 तक मध्य रात्रि 12.00 बजे तक सम्बन्धित जिला कार्यक्रम समन्वयक की वेबसाईट पर भरे जायेंगे ।
7. **मेरिट बनाना एवं दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों का सत्यापन :-**
  1. दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मता के लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिये आवेदक को
  2. चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।2. दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन संबंधित चयन समिति द्वारा किया जावेगा । तथा
  3. इसके पश्चात ही अन्तिम वरीयता सूची तैयार की जावेगी । भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसायटी की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुये कि वे इस कार्य हेतु रूचि नहीं रखतेहैं, वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।
8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो संविदा सेवायें लिया जाना प्रस्तावित है, वे पूर्णता अस्थायी तौर पर ली जा रही है। भविष्य में किसी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा लिये जाने बावत कोई अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जावेगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से एक वर्ष का अनुबन्ध किया जावेगा। अनुबन्ध अवधि समाप्ति के उपरान्त पुराने अनुबन्ध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी वरन सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी/संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिये नवीन अनुबन्ध ही किया जावेगा। चयनित व्यक्ति को 100 रु के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिये अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे क्यों कि ये सेवाएं पूर्णतः अस्थायी है एवं मासिक संविदा आधारित है ।
9. कोई भी आवेदक किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिये । चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनैतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे ।
10. उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्तिप्राधिकारी अर्थात श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभागसह अध्यक्ष कार्यकार समिति को ( EC ) SSAAT प्राप्त होंगे ।
11. विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्यायक्षेत्र केवल जिला न्यायालय बाडमेर होगा ।

  
 ( ओमप्रकाश बिश्नोई  
 अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक  
 एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
 जिला परिषद, बाडमेर (राज.)



**ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र का प्रारूप**

आवेदक का नाम..... जन्म तिथि..... आयु (दिनांक .....10.2022 को) वर्ष..... मास.....  
 ..... पिता/पति का नाम..... माता का नाम..... वैवाहिक स्थिति.....  
 वर्ग..... विशेष वर्ग..... वार्षिक पारिवारिक आय..... मोबाईल नम्बर.....  
 वैकल्पिक मोबाईल नम्बर..... ई-मेल..... स्थाई पता..... गांव का नाम..  
 ..... ग्राम पंचायत का नाम..... पंचायत समिति का नाम..... जिला ...  
 ..... आधार नम्बर..... पत्राचार का पता.....

**शैक्षणिक योग्यता**

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	रोल नम्बर	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

**तकनीकी योग्यता**

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	रोल नम्बर	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

क्या आप शारीरिक रूप से समर्थ एवं स्वस्थ हैं? हां/नहीं

क्या आपने कभी निम्नलिखित के साथ काम किया है/अनुभव हां/नहीं यदि हां तो अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

क्र.सं.	पद का नाम	अवधि से अवधि तक	सेवा की अवधि	प्राप्त मासिक वेतन	कर्तव्य की प्रकृति

**डिपारमेंट/ऑपचारिक मामलों का विवरण**

क्या किसी बोर्ड/लोक सेवा आयोग में आपको अपनी प्रतियोगिता/भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों आदि के प्रयोग के लिये वर्जित किया है। हां/नहीं क्या आपको कभी किसी अपराध के लिये सजा हुई है। हां/नहीं

